14/5/25 आज यह पत्रावली प्राप्त जाप्ति अधिनियम के प्रावधान प्रा० पत्र पर तलब की गई। प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया उपरोक्त पत्रावली में हम पक्षकारों आपस में राजीनामा हो गया है। इसलिए यह पत्रावली को नोट-प्रेन में खारिज करने की कृपा करें। हमने बुलाए का रूबरू गया। पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली वर्तमान में तलबी के स्तर पर लम्बित है। वादी नं० 2 ने स्वयं प्रार्थना पत्र किया है। वादीगण ए० 01 ए० 01 ए० 03 के वकील श्री मोहनलाल आज बाद को नोट-प्रेन में खारिज करने की अनापत्ति दी है। जिस स्तर में वादीगण का वाद-पत्र नोट-प्रेन में खारिज किया जाता है। पत्रावली फोलिए शुमार होकर नम्बर से कम है। वाद पूर्व दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)